

5074

श्री श्री श्री श्री श्री

व्यक्ति का नाम

दिनांक

विशेष सूचना के अन्तर्गत
विशेष रूप से अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों
को शिक्षा के लिए

व्यक्ति का नाम श्री 1994

विशेष:- केन्द्र प्रवेशीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को संशुद्ध
नई शिक्षा के सम्बन्ध में अनुसूचित वर्गों के अन्तर्गत प्रवेश-पत्र जारी करने के
संदर्भ में।

श्री 1994

उपरोक्त विषय पर श्री का हस्ताक्षर और मुद्रा के बिना ही केन्द्र प्रवेशीय
पत्र जारी करने के सम्बन्ध में संशुद्ध नई शिक्षा के सम्बन्ध में प्रवेश-पत्र
जारी करने में एक राज्य सरकार को विनियमित प्रक्रियाओं के अन्तर्गत अनुसूचित
वर्गों के:-

- 111. उम्मीदवारों की पंजीयन सीटों की संख्या राज्य पर न्यूननीकरण
कराया जायेगा।
- 128. विद्यालय की प्रवेश समिति में विद्यार्थी के अलावा इतर सदस्य
रूप में रहने होंगे।
- 131. विद्यालय में कम से कम एक प्रतिगत स्थान अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जाति के वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित
विद्यालयों में विभिन्न वर्गों के लिए विद्यार्थी अनुसूचित
प्रकार का नहीं किया जायेगा।
- 144. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुसूचित वर्गों को नहीं
की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा
परिषद के / वेतन विद्या परिषद से माध्यमिक शिक्षा
संस्था विद्यालय की संस्था द्वारा केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा
परिषद / कोशिका फार 15 के अधिन स्थापित
संस्था स्थापित नई शिक्षा के प्राप्त होने के तब तक परीक्षा
परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने का विद्यार्थी के परिषद से
माध्यमिक तथा राज्य सरकार से अनुसूचित वर्गों को सहायता की
जायेगी।
- 151. संस्था का विद्यार्थी संस्थाओं को सहायता की स्थापना प्राप्त विद्यालय संस्थाओं के वर्गों को अनुसूचित
वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के अन्तर्गत

आली बाबू जी के पत्र ।

- 101. कर्मचारियों को 25% की छुट्टी मिलने और उन्हें अधिक वेतन मिलने का आश्वासन देना ।
- 102. राज्य सरकार के प्राधिकारियों को राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राधिकार देना ।
- 103. राज्य सरकार के प्राधिकारियों को प्राधिकार देना ।
- 104. राज्य सरकार के प्राधिकारियों को प्राधिकार देना ।
- 105. राज्य सरकार के प्राधिकारियों को प्राधिकार देना ।
- 106. राज्य सरकार के प्राधिकारियों को प्राधिकार देना ।

उक्त प्रतिक्रियाओं का प्रतिकार करने हेतु निम्नलिखित योजनाओं को तैयार किया गया है और वे इस प्रकार हैं कि इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राधिकारियों को प्राधिकार देना किताबों के अन्तर्गत करने में किया जाता है जो कि प्राधिकार देना किताबों के अन्तर्गत करने में किया जाता है ।

आज्ञा है,

अधीनकारी
अप सचिव ।

पत्र क्र- 1277/11/19-7-94 अर्थात्

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सुझावों को प्राधिकार देना है

प्रतिनिधि:-

- 1- शिक्षा विभाग, अजमेर, राजस्थान ।
- 2- मंत्रालय अथवा शिक्षा विभाग, भारतीय संघ, अजमेर ।
- 3- जिला शिक्षा विभाग, अजमेर ।
- 4- शिक्षा विभाग, अजमेर भारतीय शिक्षा विभाग अजमेर प्रदेश, अजमेर ।
- 5- प्रधान, विद्यालय अथवा प्राध्यापक, अजमेर ।

आज्ञा है,

अधीनकारी
अप सचिव ।

Manager
St. Francis' Convent School
AGRA-282003

Principal
St. Francis Convent Scho
Ghatia Az-m Khan,
AGRA-282003